Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to make an amendment in Article 348 of the Consitution of India regarding working in Supreme Court and High Court in Hindi language along with English language.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, भारत का संविधान द्विभाषी है । संविधान की रचना अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में भी है । आज वर्ष 2011 की जो जनगणना है, उसमें 43.63 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिन्दी है । ये लगभग 52 करोड़ 83 लाख 47 हजार लोग हैं । 57.5 प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा का ज्ञान रखते हैं । कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने कहा है कि भारत के 11 राज्यों में सभी लोग हिन्दी जानते हैं।

महोदय, मैं अनुच्छेद 348 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी । अब आप कल्पना कीजिए । यह एक्ट के लिए भी था । एक्ट और बिल्स तो अब हिन्दी में भी बनने लगे हैं । जनपद के न्यायालयों में हिन्दी में काम होता है । फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा भाषायी अवरोध होता है, क्लाइंट को परेशानी होती है, वह खुद एपियर नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 348 को संशोधित करना चाहिए । इस देश में निश्चित तौर से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी जोड़ी जानी चाहिए, जिससे कि देश के सभी लोगों को ज्ञान मिल सके । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): महोदय, जगदम्बिका पाल जी ने जो मामला उठाया है, मैं इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

माननीय सभापति: ठीक है, कर दीजिए ।